vinetur

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने तीन दिन की अनुपालन जांच में मेलबर्न के मध्य क्षेत्र के 30 से अधिक आतिथ्य कारोबारों का निरीक्षण किया

समन्वित कार्रवाई में वेतन, रिकॉर्ड रखने, करों और सुपरएनुएशन दायित्वों की जांच की गई ; यह क्षेत्र लंबे समय से निगरानी में है

शुक्रवार, 13 नवंबर 2026



ऑस्ट्रेलियाई संघीय अधिकारियों ने तीन दिन की कार्रवाई के दौरान मध्य मेलबर्न में 30 से अधिक आतिथ्य कारोबारों का निरीक्षण किया। जांच का फोकस वेतन, रिकॉर्ड रखने, करों और सेवानिवृत्ति अंशदान संबंधी दायित्वों पर था।

शुक्रवार, 13 नवंबर को घोषित इस संयुक्त कार्रवाई में Fair Work Ombudsman और Australian Taxation Office शामिल थे। एजेंसियों ने बताया कि उन्होंने शहर के केंद्र में कैफे, रेस्तरां और टेकअवे भोजन कारोबारों का दौरा किया। यह समन्वित प्रवर्तन प्रयास ऐसे क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया, जहां बड़ी संख्या में आकस्मिक, अंशकालिक और युवा कर्मचारी काम करते हैं।

एजेंसियों के अनुसार, कर कार्यालय ने जांच की कि कारोबार अपने कर संबंधी दायित्व पूरे कर रहे थे या नहीं और अनिवार्य सुपरएनुएशन अंशदान जमा कर रहे थे या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में सुपरएनुएशन नियोक्ताओं की ओर से वित्तपोषित अनिवार्य सेवानिवृत्ति भुगतान है। Fair Work Ombudsman ने यह देखा कि कर्मचारियों को सही भुगतान किया जा रहा था या नहीं और नियोक्ता कार्यस्थल कानूनों के तहत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं का पालन कर रहे थे या नहीं।

बयान में मेलबर्न के निरीक्षणों में सामने आए उल्लंघनों, लगाए गए दंड या वसूल किए गए बकाया वेतन की अंतिम संख्या नहीं दी गई। एजेंसियों ने केवल इतना कहा कि कार्रवाई के दौरान 30 से अधिक कारोबारों का दौरा किया गया। इसलिए फिलहाल इस कार्रवाई का महत्व निरीक्षण प्रयास के पैमाने और उसके लक्षित क्षेत्रों में है, न कि अब तक जारी किए गए प्रवर्तन संबंधी आंकड़ों में।

अधिकारियों ने बताया कि कारोबारों का चयन कई तरह की खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। इसमें शिकायतें या सूचनाएं, अलग-अलग आंकड़ों का मिलान और पहले की नियामक कार्रवाई शामिल थीं। इससे संकेत मिलता है कि यह औचक जांच नहीं, बल्कि दोनों एजेंसियों द्वारा पहचाने गए चेतावनी संकेतों के आधार पर की गई लक्षित समीक्षा थी।

ऑस्ट्रेलिया में आतिथ्य उद्योग लंबे समय से श्रम नियामकों के निशाने पर रहा है। इसकी वजह कम वेतन देने, खराब रिकॉर्ड रखने और रोजगार संबंधी अनिवार्य दायित्व पूरे न करने को लेकर बार-बार सामने आई चिंताएं हैं। छोटे खाद्य और पेय कारोबार अक्सर कम मुनाफे, कर्मचारियों के तेज बदलाव और प्रति घंटा काम करने वालों की बड़ी हिस्सेदारी के बीच संचालित होते हैं। इन परिस्थितियों से पेरोल संबंधी गलतियों या जानबूझकर वेतन नियमों के उल्लंघन का जोखिम बढ़ सकता है। कार्यस्थल नियामक और संघीय कर कार्यालय को साथ लाकर इस कार्रवाई में श्रम लागत के दो प्रमुख पहलुओं की एक साथ जांच की गई : कर्मचारियों को सीधे दिया जाने वाला वेतन और अनिवार्य सेवानिवृत्ति अंशदान।

Fair Work Ombudsman ने इस घोषणा के साथ क्षेत्र में देशव्यापी प्रवर्तन गतिविधियों का भी उल्लेख किया। एजेंसी के मुताबिक, 2025-2026 वित्तीय वर्ष में उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट फूड, रेस्तरां और कैफे कारोबारों के 3,538 कर्मचारियों के लिए A $5.6 मिलियन से अधिक की राशि वसूल की। यह आंकड़ा देशभर में नियामक द्वारा निपटाई जा रही वेतन संबंधी समस्याओं के पैमाने का एक संकेत देता है, लेकिन यह मेलबर्न निरीक्षणों का नतीजा नहीं है। इन निरीक्षणों की घोषणा बाद में की गई थी और उनका आकलन अभी जारी है।

इस तरह की कार्रवाइयों में तुरंत नतीजे सामने न आना आम बात है। निरीक्षकों को आम तौर पर पेरोल रिकॉर्ड की समीक्षा करने, कार्य-घंटों की शीट का वेतन दरों से मिलान करने, रोजगार वर्गीकरणों की जांच करने और यह तय करने में समय लगता है कि कारोबारों ने कर तथा सुपरएनुएशन संबंधी आवश्यकताएं पूरी कीं या नहीं। समीक्षा में बकाया भुगतान या अनुपालन में विफलता मिलने पर मामले की गंभीरता और नियोक्ता के सहयोग के आधार पर पिछला बकाया वेतन चुकाने की मांग, औपचारिक चेतावनी, अनुपालन नोटिस या अदालत में कार्रवाई की जा सकती है।

इस कार्रवाई में Australian Taxation Office की भूमिका श्रम-प्रधान उद्योगों में सुपरएनुएशन अनुपालन पर बढ़ती निगरानी की ओर भी इशारा करती है। ऑस्ट्रेलिया में नियोक्ताओं को पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरएनुएशन अंशदान जमा करना अनिवार्य है। भुगतान छूट जाने पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत घट सकती है, भले ही उनका नियमित वेतन सही दिखता हो। वेतन अनुपालन के साथ करों और सुपरएनुएशन की जांच करके अधिकारी यह देख सकते हैं कि कोई कारोबार रोजगार की पूरी लागत संबंधी दायित्व निभा रहा है या केवल उसके एक हिस्से का।

मध्य मेलबर्न के कारोबारों के लिए इस कार्रवाई से शहर की अर्थव्यवस्था के उस हिस्से पर ध्यान गया है जो कार्यालयों में काम करने वालों, निवासियों और आगंतुकों से मिलने वाले आतिथ्य कारोबार पर काफी निर्भर है। कैफे, रेस्तरां और टेकअवे दुकानें इलाके के रोजमर्रा के व्यावसायिक जीवन का प्रमुख हिस्सा हैं। इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्रवाई का असर सीधे निरीक्षण किए गए कारोबारों से आगे भी पड़ सकता है, खासकर अगर इससे दूसरे नियोक्ता अपनी वेतन प्रथाओं और

रिकॉर्ड की समीक्षा करने लगें।

दोनों एजेंसियों ने घोषणा में निरीक्षण किए गए कारोबारों के नाम नहीं बताए। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कितने कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं या किन्हीं खास आरोपों के चलते अलग-अलग निरीक्षण किए गए थे या नहीं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कार्रवाई साझा जानकारी और पहले किए गए अनुपालन कार्य पर आधारित थी। यह उन क्षेत्रों में अधिक समन्वित नियामक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जहां वेतन और कर संबंधी दायित्व एक-दूसरे से जुड़े हैं।

Fair Work Ombudsman और कर कार्यालय प्रवर्तन कार्रवाई को दिशा देने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। इसमें ऐसे संकेतों के लिए पेरोल, रिपोर्टिंग और कारोबारी जानकारी का परस्पर मिलान शामिल है, जिनसे पता चले कि नियोक्ता कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। व्यवहार में, इसका मतलब वेतन के पैटर्न, कर्मचारियों की संख्या और रिपोर्ट किए गए कर संबंधी आंकड़ों की तुलना करके ऐसी विसंगतियां पहचानना हो सकता है, जिनके आधार पर मौके पर जाकर निरीक्षण या रिकॉर्ड की मांग की जाए।

कर्मचारियों की इस कार्रवाई पर करीबी नजर रहने की संभावना है, क्योंकि आतिथ्य क्षेत्र की नौकरियां अक्सर श्रम बाजार में प्रवेश के शुरुआती अवसरों में शामिल होती हैं। युवा कर्मचारी, प्रवासी और आकस्मिक कर्मचारी वेतन या सेवानिवृत्ति अंशदान को लेकर नियोक्ता से सवाल उठाने में हिचक सकते हैं—या तो उन्हें नियमों की जानकारी नहीं होती या उन्हें काम की शिफ्टें गंवाने का डर होता है। नियामकों के लिए यह स्थिति इस क्षेत्र में निरीक्षणों और रिकॉर्ड की जांच को प्रवर्तन का अहम हिस्सा बनाती है।

एजेंसियों ने यह समयसीमा नहीं बताई कि मेलबर्न कार्रवाई के निष्कर्ष कब जारी किए जा सकते हैं। बाद में आने वाले किसी भी अपडेट से पता चल सकता है कि निरीक्षणों में कम वेतन, कर की कमी या छूटे हुए सुपरएनुएशन अंशदान सामने आए या नहीं, और क्या नियोक्ताओं को कर्मचारियों को बकाया राशि लौटानी होगी या आगे नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।